

गर्भावस्था में घरेलू हिंसा

मधु कुमारी*

भारत में बहुत सी महिलाएं मानसिक हिंसा का शिकार बनती हैं या कम दहेज या शादी में जुड़े उपहारों के कारण ससुराल में सुख-चैन से नहीं रह पाती हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में यह साफ किया है कि स्त्रीधन को जवरदस्ती ले लेना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है।

बहुत सी महिलाओं को जननक्षम न होने या फिर लड़की को जन्म देने पर शारीरिक और मौखिक या शाब्दिक हिंसा झेलनी पड़ती है। शाब्दिक हिंसा भी शारीरिक हिंसा की तरह एक महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि एक महिला के आत्म-सम्मान को लगातार ठेस पहुंचाई जाए तो उसका असर उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। यह एक महिला के आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना को गिराता है। लगातार तनाव में रहने के कारण शारीरिक में होने वाला असर महिला के सामान्य स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है।

बहुत से लोग पति या साथी द्वारा महिला के साथ मारपीट को घरेलू हिंसा का नाम देते हैं। ये लोग अत्यधिक मारपीट से चेहरे पर पड़ने वाले चोट के निशान को घरेलू हिंसा से जोड़ते हैं। मगर यह जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक रूप से हो। यह मानसिक, यौन भावनात्मक और वित्तीय रूप में भी हो सकती है। आलांकि पति का अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना घरेलू हिंसा का सबसे आम तरीका है मगर शादी के रिश्ते में पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा समलैंगिक संबंधों में भी पुरुषों या महिलाओं को हिंसा झेलनी पड़ सकती है।

विष्व स्वास्थ्य संगठन, ^१ ण्भ्वद्ध की परिभाषा के अनुसार घरेलू हिंसा शारीरिक, यौन व मानसिक हिंसा की क्रिया है और इसमें महिला की जिंदगी में किसी अंतरंग साथी का नियंत्रण भी शामिल है। हालांकि यह परिभाषा अंतरंग साथियों तक सीमित है, ^२ ण्भ्वद्ध ह मानता है कि घरेलू हिंसा में घर के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए हिंसक कार्य भी शामिल है।

घरेलू हिंसा काफी आम है। सूत्रों के अनुसार भारत में 40 फीसदी शादीशुदा महिलाएं इसकी शिकायत करती हैं, वही अन्य सर्वेक्षणों के मुताबिक यह इससे भी अधिक प्रयतित हो सकती है। इसकी शिकार बहुत सी महिलाएं इतनी अधिक डरी हुई या शर्मिदा होती हैं कि वे इसकी शिकायत नहीं करती हैं।

कई बार गर्भावस्था घरेलू हिंसा का कारण और एक बड़ा जोखिम बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं का शोषण करने वाले पुरुष ऐसे मौकों की तालाश में होते हैं जब महिला को हानि पहुंचाना अधिक आसान हो।

पूर्वी भारत में हुए अध्ययन के अनुसार अपनी हाल ही की गर्भावस्था में सात प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने शारीरिक हिंसा 30 प्रतिशत ने मानसिक हिंसा और 10 प्रतिशत ने यौन हिंसा को झेला है।

हिंसा करने वाले कुछ लोगों के लिए गर्भावस्था एकदम उचित समय होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि गर्भवती होने पर पत्नी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ लोगों को गर्भावस्था में पत्नी को मिल रही विशेष तवज्जो से जलन होने लगती है, वे पत्नी की गर्भावस्था के दौरान खुद को उनदेखा और उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और इस वजह से और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं।

हालांकि कुछ महिलाओं के लिए गर्भावस्था का समय घरेलू हिंसा में बचाव व राहत पाने को अवधि होती है। यह ऐसा समय होता है जब पति तुलनात्मक रूप से कम हिंसक होते हैं और उन्हें समाज में अधिक विषे दर्जा मिल जाता है।

W.H.O द्वारा विभिन्न देशों में किए गए अध्ययन के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा झेलने वाली अधिकांश महिलाएं गर्भवती होने से पहले भी हिंसा का शिकार रही थीं। मगर कुछ महिलाएं पहली बार गर्भावस्था के दौरान मारपीट का सामना करती हैं।

दुर्भाग्यवश, गर्भावस्था के दौरान घरेलू हिंसा होने वाली माँ और शिशु दोनों की ही जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं:-

अपने पति या साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार रही महिला का गर्भपात होने की आशंका दोगुने से भी ज्यादा होती है। साथ ही उन्हे एच0आइ0वी0 समेत यौन संचारित इनफेक्शन होने का जोखिम भी डेढ़ गुणा बढ़ जाता है।

जिन गर्भवती महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उन्हें गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। गर्भपात गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, पानी की थैली का जल्दी फट जाना या समय से पहले जन्म ये सभी गर्भावस्था की ऐसी

*शोध छात्र, गृह विज्ञान विभाग, बी0एन0एम0यू0, मधेपुरा मलियाबाड़ी, के0हाट, पूर्णियाँ (बिहार)

जटिलताएं हैं जिनकी घरेलू हिंसा के दौरान होने की संभावना अधिक होती है।

जो महिलाएं घरेलू हिंसा झेलती हैं, वे शायद गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर से चेकअप के लिए भी नहीं जा पाती हैं। साथ ही उन्हें भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि अवसाद आदि होने का खतरा भी दोगुणा ज्यादा होता है।

कई बार घरेलू हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इससे चोट भी लग सकती है। अपने अंतरंग साथी के द्वारा हिंसा का शिकार हुई पर फीसदी महिलाओं को इस मारपीट की वजह से चोट लगती है। गर्भवती महिलाओं के पेट पर आघात लगने का खतरा अधिक होता है और पेट पर मार से गर्भवस्थ शिशु को चोट पहुंच सकती है और इससे समय से पहले प्रसव या फिर शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को करीब-करीब 38 फीसदी हत्याएं किसी अंतरंग साथी द्वारा ही की जाती हैं।

हिंसा करने वाले लोग हर जाति, संस्कृति, नस्ल से आते हैं और सभी लिंग, शैक्षिक स्तर, धर्म और पृष्ठाभूमि के लोग इसमें शामिल होते हैं। हालांकि, अपनी पत्नी से हिंसा करने वाले लोगों के चरित्र में कुछ आम विशेषताएं होती हैं जैसे :-

असामाजिक व्यवहार :-ये लोग विपरीत सेक्स के लोगों के विरोधी होते हैं और वे दूसरे लोगों की जगह खुद को यह नहीं देख पाते कि इनकी हिंसा का असर उनके साथी या बच्चों पर क्या पड़ रहा है। इस बात की पूरी आशंका होती है कि वे शराब पीते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं या फिर दोनों करते हैं।

भावनात्मक तौर पर आश्रित :-ऐसे लोग बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं और गहन रिश्ते रखते हैं। वे रिश्ते पर काफी ज्यादा आश्रित होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई मजबूत पहचान नहीं होती है। वे दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते, वे बहुत गुस्सा करते हैं और उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। गड़बड़ हिंसा करने वाले दूसरों के सामने काफी अच्छे न आकर्षक बनकर रहते हैं, इसलिए दूसरों के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि वे ऐसा बर्ताव भी कर सकते हैं।

बहुत से दंपतियों में पुरुष पहली बार तब हिंसात्मक हो जाता है जब महिला पहली बार गर्भवती हो या उनसे एक कन्या को जन्म दिया हो। इसके अतिरिक्त अनेक दम्पतियों में बच्चे के आगमन से आर्थिक स्थिति खराब होने की चिंता के दबाव भी हो सकते हैं।

एक अध्ययन में सामने आया है कि घरेलू हिंसा की शिकार माताओं के बच्चों का बौद्धिक कौशल कमजोर होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब अगर माता घरेलू हिंसा का शिकार होती है या अगर बच्चा शुरूआत के छह साल

इसी परिवेश में गजारता है तो उससे भी उसका बौद्धिक कौशल कमजोर हो जाता है। अगर माता बार-बार घरेलू हिंसा की शिकार होती रही तो बच्चों का आइक्यू लेवल तीन गुणा तक कम हो जाता है।

पीड़ित महिला सहयोग के लिए अपने माता-पिता, परिवार के नजदीकी सदस्य या मित्र के पास जा सकती हैं। यदि इससे भी सहयोग नहीं मिले तो पड़िता को स्थानीय पुलिस स्टेशन की महिला सेल में जाकर शिकायत दर्ज कराना चाहिए। महिलाओं के लिए सेसी बहुत सी सहयोग संस्थाएं हैं, जहां उनको सलाह कानूनी सहयोग और काउंसलिंग मिल सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की [osclkbV\(www.nic.in\)](http://osclkbV(www.nic.in)) पर भी उन्हें जरूरी सूचनाएं और हेल्पलाइन नम्बर मिल सकते हैं। यह भारत में राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों की देखभाल व प्रोत्साहन के लिए काम करती है।

गर्भावस्था के दौरान खुश रहना स्वास्थ्य शिशु के जन्म में निस्संदेह अपनी भूमिका निभाता है। गर्भ संस्कार की परंपरा, जैसे कि शांतिदायक संगीत सुनना और योग करना आदि संभावतया तनाव से मुक्त होने और भावनात्मक मुद्दों को संभालने में मदद कर सकते हैं।

संदर्भ

1. Bagechi S. 2015 Third of Indian Women Who experience Violence during Prognancy have complications
2. Hossain n, khan S. 2015 Domestic abuse and the duties of physicians: a case report.
3. W.H.O. 2011 Intimate Pattner Violence during pregnancy. Information sheet Geneva : World Health Organization.
4. Desai, Bira: Women in modern India.
5. Thomas, B . Women and marringe in India

